अध्याय 1

परिचय

दिल्ली में उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन उच्चतर शिक्षा विभाग (एचईडी) द्वारा उच्चतर शिक्षा निदेशालय (डीएचई) के माध्यम से और तकनीकी शिक्षा का संचालन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (टीटीईडी) द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई) के माध्यम से किया जाता है। जब कि डीएचई उच्चतर शिक्षा के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने और उसे लागू करने तथा दिल्ली में नए कॉलेज खोलने के माध्यम से उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है, वहीं डीटीटीई की स्थापना विश्व स्तरीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग संगत अनुसंधान और विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वे अपने अधीन कार्यरत विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान भी प्रदान करते हैं। मार्च 2023 तक विद्यमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के कुल 11 विश्वविद्यालयों में से, सामान्य/गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले पाँच विश्वविद्यालय[1] डीएचई के अधीन कार्य करते हैं और तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शेष छह विश्वविद्यालय[2] डीटीटीई के अधीन कार्य करते हैं। इनमें से दो विश्वविद्यालय, अर्थात दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर 2023 तक अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू नहीं की गई थीं। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) को उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

डीएचई और डीटीटीई दोनों के शीर्ष पर निदेशक होते हैं जो सचिव (एचईडी/टीटीईडी) के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। उच्चतर शिक्षा निदेशक को उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, उप लेखा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारियों

---

[1] गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), दिल्ली खेल विश्वविद्यालय (डीएसयू) और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (डीटीईयू)

[2] दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटीडी), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी), दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (डीपीएसआरयू) और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)

और सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जब कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक को अपर निदेशक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, कुलसचिव, उप लेखा नियंत्रक और सिस्टम विश्लेषक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। विश्वविद्यालयों का प्रशासन संबंधित कुलपतियों के अधीन होता है, जिनकी सहायता विश्वविद्यालय के कुलसचिव और विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक विभागों के प्रमुख करते हैं।

1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- सरकार और चयनित विश्वविद्यालयों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने शैक्षणिक कार्यों की योजना बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया;
- चयनित विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंधन कुशल और प्रभावी था;
- मानव संसाधन और अवसंरचना सुविधाओं का सृजन और विकास पर्याप्त और मानदंडों के अनुसार था; और
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

1.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

उपर्युक्त उद्देश्यों के संबंध में सरकार और चयनित विश्वविद्यालयों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर किया गया:

- विश्वविद्यालयों के अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए क़ानून और अध्यादेश;
- दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियम, गैर-शोषणकारी शुल्क का निर्धारण और गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय) अधिनियम एवं नियम 2007;

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए), भारतीय विधिज्ञ परिषद और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देश और विनियम;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020;
- दिव्यांगजन अधिनियम, 1995;
- डीएचई और डीटीटीई द्वारा जारी आदेश/नीतिगत दिशानिर्देश;
- वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमावली और आदेश;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नियमावली।

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

"रा.रा.क्षे.दि.स. के विश्वविद्यालयों के कामकाज" पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि शामिल थी। लेखापरीक्षा डीएचई और डीटीटीई के अभिलेखों की संवीक्षा के माध्यम से की गई थी, तीन[3] विश्वविद्यालयों को निर्णयात्मक आधार पर चुना गया था और जीजीएसआईपीयू के 14 संबद्ध कॉलेजों को आइडिया (आईडीईए) सॉफ्टवेयर **(अनुलग्नक 1.1)** का उपयोग करके सांख्यिकीय यादृच्छिक चयन के माध्यम से चुना गया था।

9 मई 2023 को रा.रा.क्षे.दि.स. के उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के सचिव एवं निदेशक और डीटीयू तथा डीपीएसआरयू के कुलसचिव और जीजीएसआईपीयू के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नमूनों के चयन सहित लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्रों, उद्देश्यों, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। 10 मार्च 2025 को रा.रा.क्षे.दि.स. के उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभागों के सचिव एवं निदेशक तथा डीटीयू और डीपीएसआरयू के कुलसचिव और

[3] 1. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 2. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 3. दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय।

जीजीएसआईपीयू के कुलपति के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। निर्गम सम्मेलन में विभागों द्वारा व्यक्त विचारों और उसके बाद प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.5 आभार

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में उच्चतर शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय तथा तीन चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अध्यायों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है:

अध्याय 2: प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दे

अध्याय 3: विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया

अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और अवसंरचना सुविधाएं

अध्याय 5: आंतरिक नियंत्रण